

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

आदेश

आ० सं०- वि० प्रा० (II) स्था०-19/2022/ 380 /पटना, दिनांक - 24.01.25

डॉ० अभय कुमार शर्मा, प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, अरवल द्वारा पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ने की स्वीकृति के उपरान्त वेतन संरक्षण प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विभागीय आदेश संख्या-3558 दिनांक-16.08.2024 द्वारा डॉ० शर्मा को प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, अरवल के पद पर योगदान करने हेतु विभागाध्यक्ष (यांत्रिक अभि०) के पद से दिनांक-15.07.2024 (अपराह्न) के प्रभाव से त्याग पत्र की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विदित हो कि बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम 101 (क) के अनुसार लोक-सेवा का त्याग करने से अतीत सेवा की गणना नहीं की जाती है।

तदालोक में डॉ० शर्मा की पूर्व पद (विभागाध्यक्ष, यांत्रिक अभि०) से त्याग पत्र की स्वीकृति के उपरान्त पूर्व की सेवा की गणना संबंधी अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें वित्त विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त है।

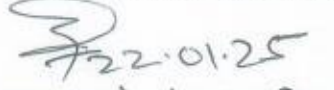
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


22.01.25

(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
सरकार के संयुक्त सचिव

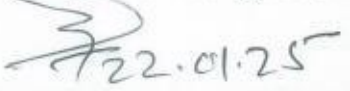
ज्ञापांक - वि० प्रा० (II) स्था०-19/2022/ 380 /पटना, दिनांक - 24.01.25

प्रतिलिपि - प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/
कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, अरवल/ डॉ० अभय कुमार शर्मा, प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22.01.25
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - वि० प्रा० (II) स्था०-19/2022/ 380 /पटना, दिनांक - 24.01.25

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/ आई० टी० मैनेजर, (अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22.01.25
सरकार के संयुक्त सचिव